न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **66 / 2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामेश्वर पिता रामा धाकड़ निवासी कल्याणपुरा वाया मानपुरा त0 माण्डलगढ	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी , भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20 / 09 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 06.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 761297 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 25.05.2017 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.05.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 12 / 07 / 2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 25.07.2017 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ तथा प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर पत्रांक 2441 दिनांक 25.07.2017 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2017 नियत की गई। दिनांक 31.07.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित जिसे सुना गया। प्रत्यर्थी ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक पत्रांक 2434 दिनांक 24.07.2017 प्रेषित की गई जिसकी प्रति संलग्न है। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 08.08.2017 नियत की गई परन्तु उक्त दिनांक को भी पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली आदेश हेतु 20.09.2017 नियत की गई। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त विलम्ब से जरिये डाक प्रेषित किया जाना सिद्ध होता है। सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा